न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2023 G.C.M.S. No. 2023/1 दर्ज दिनांक : 05.01.2023

प्रार्थी:

1. दीपा पुत्र नेमाजी, जाति मेघवंशी, निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुमेरपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 अपील संख्या 85/2000 अपीलांट दीपा बनाम रेस्पोंडेंट सरकार में पारित निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में पूर्व इन्द्राज बहाल किए जाने बाबत्।

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 अपील संख्या 85/2000 अपीलांट दीपा बनाम रेस्पोंडेंट सरकार में पारित निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में पूर्व इन्द्राज बहाल किए जाने बाबत् पेश किया गया है। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में अप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2000 प्रकरण संख्या 869/1983 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक अपील प्रार्थी की ओर से धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् प्रकरण निर्णित कर ग्राम बसंत के खसरा नम्बर 440 रकबा 20 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिवाय चक किये जाने बाबत् प्रकरण पेश होने पर वाद को स्वीकार कर उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने बाबत् निर्णय पारित किया गया था। उपरोक्त निर्णय की पालना में अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार महोदय सुमेरपुर द्वारा म्यूटेशन संख्या 224 स्वीकृत दिनांक 09.11.2000 पारित कर उपरोक्त निर्णय की पालना में भूमि को सिवाय चक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पारित निर्णय की अपील श्रीमान के न्यायालय में उपर दर्ज अनुसार की गई थी, जो अपील श्रीमान के निर्णय दिनांक 04.05.2001 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2000 को निरस्त कर दिया, साथ ही अप्रार्थी को यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में जांच किये जाने पर सही स्थिति पाये जाने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में नये सिरे से कार्यवाही प्रस्तुत की जावें। इसके साथ ही श्रीमान द्वारा पारित निर्णय की पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। चूँकि जिस निर्णय के आधार पर म्यूटेशन संख्या 224 स्वीकृत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को खारिज कर सिवाय चक की गई थी, जिस निर्णय को श्रीमान के न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2001 द्वारा निरस्त कर दिया गया है और वो प्रभाव में नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त श्रीमान द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वतः ही सिवाय चक की गई भूमि पुनः प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज की जानी चाहिए थी। उपरोक्त निर्णय भूमिधारी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णित हुआ है, जो अप्रार्थी की उपस्थिति में निर्णित माना जाता है, इसलिए अप्रार्थी की पूर्णरूपेण जानकारी होने के बावजूद भी उपरोक्त निर्णय की पालना नहीं की गई है, जो किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अवेदन पेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पिछले 21 सालों में प्रार्थी ने अनेकानेक आवेदन भूमिधारी को पेश किये हैं, लेकिन भूमिधारी द्वारा आज दिनांक तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं, न ही भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की गई हैं, आज भी भूमि सिवायचक ही दर्ज चली आ रही है, विधिनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पुनः उपरोक्त ग्राम बसंत के हाल खसरा नंबर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात जो प्रार्थी दीपा पुत्र नेमाजी मेघवाल की खातेदारी आराजी थीं, के संबंध में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में राजस्व वाद संख्या 869/1983 अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात अनुसूचित जाति के खातेदार की खातेदारी आराजी हैं। जिस पर अप्रार्थी गैर अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा काश्त किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 द्वारा वादपत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी खातेदार अपीलांट दीपा द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 85/2000 बअनवान दीपा बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2000 को अपास्त कर दिया गया। जैर अपील तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 की पालना करते हुए वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट अप्रार्थी की खातेदारी विलोपित करते हुए सिवायचक दर्ज कर दी गई।

2. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामांतरण संख्या 224 दिनांक 09.11.2000 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 की पालना में वादग्रस्त आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2001 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया गया। इससे अपीलाधीन निर्णय का कोई प्रभाव अस्तित्व में नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में श्रीमान द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वतः ही सिवायचक की गई भूमि पुनः प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज की जानी चाहिए थीं। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय पैरोकार सरकार राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति में हुआ है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सुमेरपुर को श्रीमान न्यायालय के निर्णय की पालना में पुनः भूमि दर्ज करने हेतु अनेक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। लेकिन भूमिधारी द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का गरीब काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

"144 – <u>प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन</u> :– *(1) जहां की और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश*

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है, न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अंतर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अंतःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है।"

4. धारा 144 सीपीसी के प्रकरण में परिसीमा के संबंध में माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गणेशप्रसाद बनाम आदि हिन्दू सामाजिक सेवा लीग अपील संख्या 08/1973 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.1974 हस्तगत प्रकरण में अवलोकनीय है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

...Section 144 cpc imposes no limitations on the rights of the judgment – debtor to go back the benefit, to which he is entitled under the appellate court's decree which has reversed or varied the trial court's decree. On a perusal of section 144 it is obvious that the question whether the balance of convenience is in his favour or not, is relevant for the purpose of granting restitution.

5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाल भगवतसिंह बनाम श्रीकृष्णदास (1953) 4 एससीआर 559 में पारित निर्णय में निम्नानुसार अभिमत प्रकट किया है:–

".....An order of restitution in the manner asked for in the circumstances of this case would be contrary to the principles of the doctrine of restitution which is that on the reversal of a judgment the law raises an obligation on the party to the record who received the benefit of the erroneous judgment to make restitution to the other party for what he had lost and that it is the duty of court to enforce that obligation unless it is shown that restitution would be clearly contrary to the real justice of the case the decree holder in

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

the present case has derived no advantage to which he was not entitled and the judgment- debtor has lost nothing."

6. प्रकरण में किसी भी न्यायालय का स्थगन या न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 के विरूद्ध कोई अपील, रिवीजन आदि जैरकार नहीं होना विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर पाली द्वारा आदेशांक 447 दिनांक 08.02.2023 एवं संशोधन दिनांक 04.04.2023 से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर पाली द्वारा ग्राम बसंत के खसरा संख्या 820 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर में से 1.78 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंत को खेल मैदान प्रयोजनार्थ आवंटित की गई हैं। जो नामांतरण संख्या 1049 दिनांक 25.04.2023 द्वारा आवंटी के नाम खसरा संख्या 977/820 दर्ज हुई तथा शेष आराजी खसरा संख्या 978/820 रकबा 1.4200 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रही। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर पर आवंटन आदेश के विरूद्ध चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। हस्तगत प्रार्थना पत्र द्वारा उक्त पश्चातवर्ती आवंटित भूमि के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

8. उपर्युक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, संगत विधिक प्रावधानों के अवलोकन एवं बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट अभिकथनों के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि थीं। जिसके संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर रेस्पोंडेंट तहसीलदार द्वारा जैर अपील पालना करते हुए नामांतरण संख्या 224 दिनांक 09.11.2000 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक दर्ज की गई। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2000 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 85/2000 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा जिस निर्णय के आधार पर नामांतरण स्वीकृत कर अपीलांट खातेदार की आराजी सिवायचक दर्ज की गई, उक्त निर्णय अपास्त होने से उसका कोई प्रभाव शेष नहीं रहा। ऐसी स्थिति में ऐसे अपास्त व प्रभावशून्य निर्णय के आधार पर की गई समस्त आनुषंगिक कार्यवाही प्रभावशून्य हो जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर रेस्पोंडेंट के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में जो अधिकार उत्पन्न हुए थें, ऐसे समस्त अधिकार ऐसे निर्णय के विरूद्ध पारित अपीलीय निर्णय द्वारा अपास्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में नामांतरण कार्यवाही महज एक फिस्कल कार्यवाही मात्र रह जाती हैं तथा नामांतरण से भू–अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज रह जाने मात्र से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते। साथ ही वादग्रस्त आराजीयात में से 1.78 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंत को खेल मैदान प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर पाली द्वारा आवंटित की गई हैं। जो नामांतरण संख्या 1049 दिनांक 25.04.2023 द्वारा आवंटी के नाम खसरा संख्या 977/820 दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थी खातेदार वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की आवंटित भूमि खसरा संख्या 977/820 रकबा 1.78 हैक्टेयर को छोड़कर वर्तमान में शेष आराजी खसरा संख्या 978/820 रकबा 1.4200 हैक्टेयर सिवायचक आराजी की अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2000 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के लिए कानूनन अधिकारी हैं। अतः हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर यदि प्रकरण में कोई स्थगन आदि प्रवर्तन में नहीं हों तो वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की दिनांक 04.10.2000 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम बसंत तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजीयात पुराना खसरा संख्या 440 रकबा 20 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से राजकीय माध्यमिक विद्यालय बसंत को खेल मैदान के लिए आवंटित एवं दर्ज भूमि खसरा संख्या 977/820 रकबा 1.78 हैक्टेयर को छोड़कर वर्तमान में शेष आराजी खसरा संख्या 978/820 रकबा 1.4200 हैक्टेयर सिवायचक आराजी के भू–अभिलेख में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2000 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल की जाती हैं। यदि उक्त आराजीयात के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि प्रभावशील नहीं हों, तो संबंधित तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख में इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ एवं जिला कलक्टर पाली को सूचनार्थ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner